(वाद सं0–2038/4/24/2023)

03.10.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, मुन्नी देवी, साकिन–लोहगामी, थाना–सोहसराय, जिला–नालन्दा के परिवाद से सम्बन्धित है, जिसमें उसका कथन है कि दिनांक–19.08.2017 को उसके पति, धुरी पासवान, के शरीर पर घर के पीछे गली में बिजली का तार टूट कर गिर जाने से हुई मृत्यु पर उसे चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान सम्बन्धित विद्युत कम्पनी से दिलवायी जाय।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ** तथा **प्रबन्ध निदेशक, SBPDCL, पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। **उप महाप्रबन्धक, SBPDCL, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **‘‘परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जाँच हेतु विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहारशरीफ के स्तर से गठित जाँच समिति द्वारा संयुक्त रूप से जाँच किया गया। जाँच के क्रम में यह पाया गया कि परिवादी के पति, स्व0 धुरी पासवान, ग्राम–लोहगामी, थाना+पो0–सोहसराय, जिला–नालन्दा अपने आवासीय परिसर में कपड़ा प्रेस करने के दौरान प्रेस के तार में प्रवाहित विद्युत धारा की चपेट में आ गये थें, जिससे विद्युत स्पर्शाघात से उनकी मृत्यु हो गयी थी। प्रतिवेदनानुसार, उस स्थान पर न कोई एल0टी0 एवं एच0टी0 कण्डक्टर टूटा हुआ था एवं न ही टूटने की किसी प्रकार की सूचना मिली थी। स्व0 धुरी पासवान, की मृत्यु दुर्घटनावश हुआ था, जिसमें किसी भी विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि इस सम्बन्ध में परिवादी के अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित दावे को पूर्व में विभागीय गलती नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया जा चुका है। अपने प्रतिवेदन के साथ उप महाप्रबन्धक, SBPDCL, पटना**

द्वारा अपने अधीनस्थ विद्युत पदाधिकारियों के संयुक्त रूप से की गई जाँच प्रतिवेदन की प्रति भी अनुलग्नित की गई है।''

जबकि दुसरी ओर, पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बिहारशरीफ, नालन्दा के प्रतिवेदनानुसार, पुलिस द्वारा घटना के सम्बन्ध में जाँच की गई। जाँच के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ कि दिनांक–19.08.2017 को करीब 4:00 बजें शाम में परिवादी के पति, धीरेन्द्र पासवान उर्फ धुरी पासवान, घर से खन्धा में शौच करने जा रहे थें, तभी सत्येन्द्र पासवान के घर के पीछे गली में बिजली का तार टूटकर धीरेन्द्र पासवान उर्फ धुरी पासवान के शरीर पर गिरने से उसकी मुत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में उसी दिन मृतक के पिता–सोहन पासवान, द्वारा सोहसराय थाना में यू0डी0 काण्ड संख्या–03/17, दिनांक–19.08.2017 दर्ज कराया गया, जिसमें उनका स्पष्ट कथन है कि उसके पुत्र की शौच करने जाते समय, सत्येन्द्र पासवान, के घर के पीछे की गली में बिजली के तार के टूट कर उसके पुत्र, धीरेन्द्र पासवान उर्फ धीरू पासवान, के शरीर पर गिर जाने से विद्युतस्पर्शाघात से उसकी मृत्यु हो गयी तथा इस घटना पर ग्रामीणों द्वारा दौड़कर ट्राँसफॉर्मर से लाईन काटने का प्रयास किया गया, तबतक वह अधमरा हो गया, तथा उसे उठाकर जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

SBPDCL, पटना के प्रतिवेदन में मृतक के घर में कपड़ा प्रेस करने के दौरान मृत्यु हुई बतायी गयी है। जबकि पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहाराशरीफ द्वारा उसकी मृत्यु सत्येन्द्र पासवान, के घर के पीछे की गली में बिजली के तार के टूट कर गिर जाने से हुई विद्युतस्पर्शाघात से बतायी गयी है। पोस्टमॉर्टम रिर्पोट के अवलोकन से पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य सत्य प्रतीत होता है क्योंकि मृतक का पूरा शरीर विद्युतस्पर्शाघात से जल चुका था।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा है कि मृतक मजदुरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करता था तथा उसके परिवार में परिवादी, मुन्नी देवी (पत्नी) तथा उसके 12 वर्षीया पुत्री, जूली कुमारी तथा 08 या 09 वर्ष की 02 पुत्री है।

अतः उपरोक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन से सहमत होकर राज्य आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मृतक की मृत्यु बिजली के तार के टूटकर गिरने से हुई है, जिसके लिए निःसंदेह बिजली कम्पनी (SBPDCL) पूर्णरूपेण उत्तरदायी है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए SBPDCL, पटना को यह निर्देश दिया जाता है, कि वह आदेश पारित होने के 02 माह के अन्दर, मृतक धीरेन्द्र पासवान उर्फ धुरी पासवान, की आश्रित पत्नी, मुन्नी देवी, को 04 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर, उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–23.01.2024 के पूर्व राज्य आयोग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संचिका दिनांक–30.01.2024 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव